फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मनीष **विपक्षी : श्री निलकंठ**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 26/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.01.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के पिता हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। अतः प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं. 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके जिससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गडवाडा पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 20, 21 22, 23, 24, 26, 27, 272, 273, 274, 28, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 किता 20 रकबा 3.8202 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 मूल वाद निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.02.14 12:58:04 IST Reason: SelfAttested (श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	